773

[2023] 4 एस. सी. आर 773

ए.

हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम।

मेसर्स ए. जे. इन्फ्रास्ट्रक्चरस पी. वी. टी. LTD AND ANDR। (सिविल अपील सं. 8980–8981/2012)

बी.

अप्रैल 28, 2023

[एस. रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता, जे. जे.]

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 –s.16–B–वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 –s.35–Held:एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम का <आई. डी. 1 कानून के किसी भी प्रावधान के अधिकार से बाहर नहीं है–यह कानून का एक पूरी तरह से वैध टुकड़ा है और संविधान और/या बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अधिकार से बाहर नहीं है जैसा कि 2012 के सी. ए. No.9212 में उच्च न्यायालय के फैसले में गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया गया है–इसके अलावा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मामले में निर्णय को देखते हुए, 2012 के सी. ए. No.8980 में आक्षेपित निर्णय में कोई भी अवलोकन एस.16–एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम का बी बनाम एस।35 सरफेसी अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं है–हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1954।

सी.

डी.

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 –s.16–B–"कर संपत्ति पर पहला शुल्क होगा"–हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1954–अध्याय VI–आयोजितः<आई. डी. 1.....।अभ्यास और प्रक्रिया–आयोजितःकिसी प्रावधान की संवैधानिक वैधता पर निर्णय को शून्य में नहीं आमंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन जब मामले का न्याय इस तरह के निर्णय की मांग करता है–एक निष्फल रिट याचिका पर निर्णय असंगत है और कभी भी किसी भी प्रभाव का नहीं हो सकता है।

ई.

एफ.

जी.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 –s.151–आयोजितःजब कानून एक विशिष्ट उपाय प्रदान करता है, तो यह किसी पक्ष के लिए ए का सहारा लेने के लिए खुला नहीं है।

एच.

773

774 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 4 एस. सी. आर.

से एस।151 – यह ऐसे मामले में न्याय करने के लिए अदालत की अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित करता है जहां पक्ष के पास सी. पी. सी.–प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कोई अन्य उपाय नहीं है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः1.1 एक कानून, जिसे राज्य विधानमंडल को लागू करने की क्षमता थी, को उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए गैरकानूनी घोषित कर दिया है, जिसे दाखिल करने के बाद और इसके निपटारे से पहले के घटनाक्रमों के कारण निष्फल घोषित कर दिया गया था, लेकिन इस तरह के घटनाक्रमों को उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था। सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, उच्च न्यायालय ने अपने 2 जनवरी, 2008 के फैसले और आदेश द्वारा एक निष्फल रिट याचिका का फैसला किया और इस प्रक्रिया में, एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जब वह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं थी।पी. एन. बी. के खिलाफ केवल विशेष अनुमति याचिका को निष्फल बताते हुए खारिज करना भी इस न्यायालय की ओर से एक स्पष्ट लेकिन अनजाने में हुई त्रुटि थी; इस न्यायालय के लिए उचित मार्ग पी. एन. बी. की रिट याचिका को स्वयं ही निष्फल बताते हुए खारिज करना होना चाहिए था क्योंकि पी. एन. बी. द्वारा 30 सितंबर, 2010 को अपने उपरोक्त हलफनामे में लिए गए स्पष्ट रुख को ध्यान में रखते हुए कि संपत्ति को बंधक से मुक्त करने के निर्णय की तारीख को रिट याचिका पर निर्णय के लिए कुछ भी नहीं बचा था।8 अप्रैल, 2011 के आदेश द्वारा पी. एन. बी. की विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के मद्देनजर, एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी को गैरकानूनी घोषित करने वाले निर्णय और आदेश की जांच की जा सकती है।[पारस 29,31 और 32] [788–जी–एच; 789–ई–जी]

बी.

सी.

डी.

ई.

ए. आर. अंतुले बनाम। आर. एस. नायक (1988) 2 एससीसी 602:[1988]

1 पूरक।एस. सी. आर. 1–संदर्भित।

एफ.

1.2 चूँकि रिट याचिका को निर्णय की तारीख को निष्फल कर दिया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय के लिए धारा 16–बी की वैधता पर निर्णय देना आवश्यक नहीं था। किसी प्रावधान की संवैधानिक वैधता पर निर्णय को शून्य में नहीं बल्कि तब आमंत्रित किया जाना चाहिए जब मामले का न्याय इस तरह के निर्णय की मांग करता हो।इसलिए, यह माना जाता है कि एक निष्फल रिट याचिका पर निर्णय अप्रासंगिक है और कभी भी किसी भी प्रभाव का नहीं हो सकता है।यह मुद्दा कि क्या एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी देश के सर्वोच्च कानून सहित कानून के किसी भी प्रावधान के अधिकार से बाहर है, अब एकीकृत नहीं है।प्रकाश ए में क्या महत्वपूर्ण प्रतीत होता है

जी.

एच.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निर्णय का यह है कि चार दीवानी अपीलों में से दो में आक्षेपित रिट याचिकाओं का निपटारा करने वाले निर्णयों और आदेशों में निष्कर्ष–पहली तारीख 7 सितंबर, 2007 और दूसरी तारीख 2 जनवरी, 2008–सरफेसी अधिनियम की धारा 35 के दायरे, दायरे और प्रयोज्यता के संबंध में, विशेष रूप से एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी को संविधान और बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए, अपना आधार खो देते हैं और अब इसे कानूनी और वैध नहीं माना जा सकता है।एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 35 को एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 26 ई को ध्यान में रखते हुए राज्य के बकाया पर प्राथमिकता का दावा करने के लिए किसी सुरक्षित लेनदार को कोई अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं माना जा सकता था, क्योंकि इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, जिसका वर्तमान में दावा किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पी. एन. बी. की रिट याचिका पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय सरफेसी अधिनियम से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था।यह मामला डी. आर. टी. अधिनियम के तहत कार्यवाही से उच्च न्यायालय तक गया था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के लिए एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी की वैधता पर निर्णय देने का कोई अवसर नहीं था, जो मैसर्स ए. जे. इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में इसकी समन्वय पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था। इसलिए उच्च न्यायालय स्पष्ट त्रुटि में था।एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी पूरी तरह से वैध कानून है और संविधान और/या बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है जैसा कि 2 जनवरी, 2008 के उच्च न्यायालय के फैसले में गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया गया है।इसके अलावा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निर्णय के बाद, एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी और एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 35 को छूते हुए 7 सितंबर, 2007 के निर्णय में कोई भी अवलोकन प्रभावी नहीं है।[पारस 35,38–40] [790–B–D; 793–C–H]

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

भारतीय केंद्रीय बैंक बनाम केरल राज्य (2009) 4 एस. सी. सी.

94 :[2009] 3 एस. सी. आर. 735–पर निर्भर।

मेसर्स ए. जे. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनामएच. पी. राज्य और

अन्य सी. डब्ल्यू. पी. सं. 306/2007 दिनांक 7 सितंबर, 2007–निर्दिष्ट।

जी.

1.3 2 जनवरी, 2008 के उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश के अंश से यह स्पष्ट है कि चूककर्ताओं को नोटिस दिए जाने पर कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी और विभाग को दी जाने वाली राशि का अंत में कानून के अनुसार निर्धारण नहीं किया गया था।इसे ध्यान में रखते हुए सवाल

एच.

राज्य का बकाया की वसूली के लिए एच. पी. एल. आर. अधिनियम के अध्याय VI में निहित प्रावधानों का सहारा लेना, यदि बिल्कुल भी हो, क्योंकि भूमि राजस्व का बकाया उत्पन्न नहीं हुआ था।राज्य और उसके विभाग ने या तो इस कानून की आवश्यकता की अनदेखी की या इस बात से अनजान थे कि धारा 16–बी दायित्व के निर्धारण के बाद और किसी भी राशि के

देय और देय होने पर ही आकर्षित की जाएगी और इसके बाद ही शुल्क, यदि कोई हो, संचालित होगा।उच्च न्यायालय के समक्ष कोई प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, जब 2007 की सी. डब्ल्यू. पी. 303 की सुनवाई की जा रही थी, यह इंगित करने के लिए कि राज्य और उसके अधिकारियों द्वारा एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत आवश्यक कदम उठाए गए थे, तीसरे मुद्दे का जवाब यह मानते हुए दिया जाना चाहिए कि राज्य ने अपने बकाया की वसूली के लिए कानून द्वारा आवश्यक कदम नहीं उठाए, दायित्व का कोई निर्धारण नहीं किया गया था, एक दुर्भाग्य, बकाया की वसूली के लिए एच. पी. एल. आर. अधिनियम का सहारा लेने का सवाल क्योंकि भूमि राजस्व की बकाया राशि उत्पन्न नहीं हुई थी।दायित्व के इस तरह के निर्धारण के बिना, राजस्व रिकॉर्ड में कोई लाल प्रविष्टि चिह्न नहीं डाला जा सकता था और उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि राज्य को परिवर्तन से इनकार नहीं करना चाहिए था।अपीलार्थी (राज्य और उसके अधिकारी) इस घोषणा के अलावा किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं कि एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी कानून के किसी भी प्रावधान से परे नहीं है।2 जनवरी, 2008 को उच्च न्यायालय द्वारा धारा 16–बी को गैरकानूनी घोषित किए जाने के मद्देनजर, यह घोषणा उन मामलों के संबंध में राज्य के लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं होगी जो पुराने हैं और बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इससे एक बार फिर प्रभावी होंगे।[पारस 48,49 और 51] [795–एफ–जी; 796–बी–ई; 797–सी–डी]

बी.

सी.

डी.

ई.

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर बनाम नेशनल आयरन एंड स्टील रोलिंग कॉर्पोरेशन और अन्य। (1995) 2 एससीसी 19:

[1994] 6 पूरक।एस. सी. आर. 566–संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

एफ.

[1994] 6 पूरक।एस. सी. आर. 566 पैरा 11 [1988] 1 सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा 27 [2009] 3 एस. सी. आर. 735 को संदर्भित एस. सी. आर. 1 पर भरोसा किया गया

पैरा 36

जी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2012 की सिविल अपील Nos.8980–8981।

2007 के सी. डब्ल्यू. पी. No.306 और 2008 के सी. एम. पी. No.1160 में शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

एच.

777

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम एम./एस. ए. जे. इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड ए

ए.

के साथ

2012 की सिविल अपील सं. 9212–9213।

अभिनव मुखर्जी, बिहू शर्मा, अक्षय सी. श्रीवास्तव, सुश्री प्रतिष्ठा विज, वरिंदर कुमार शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।ए. वेनायगम बालन, संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, सूर्य प्रकाश, अर्जुन भाटिया, सुश्री आस्था गम्बर, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

दीपांकर दत्ता, जे।

प्रस्तावना

सी.

1. एक पतला धागा सिविल अपील 1 के दो समूहों को जोड़ता है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य (संक्षिप्तता के लिए, "राज्य", इसके बाद) और उसके अधिकारियों के उदाहरण पर हैं।चूंकि विचार के लिए उभरने वाले कानून के प्रावधान संदर्भ में लगभग समान हैं, हालांकि विभिन्न तथ्य स्थितियों में, इन अपीलों पर एक के बाद एक सुनवाई की गई और इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा उनका निपटारा किया जाएगा।

डी.

सिविल अपील Nos.8980–8981/2012

2. 2012 की सिविल अपील सं. 8980 को उच्च न्यायालय के 7 सितंबर, 2007 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसमें मेसर्स ए. जे. इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत एक रिट याचिका 2 को अनुमति दी गई है। लिमिटेड, प्रथम प्रतिवादी, 6 मार्च, 2007 को।आदेश का परिचालन भाग इस प्रकार हैः–

ई.

" उपरोक्त सभी कारणों से, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।उनके नाम की प्रविष्टि को परिवर्तित नहीं करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।उत्तरदाताओं नं। 1 से 5 तक को निर्देश दिया जाता है कि वे खसरा सं. 254/2/1, खतौनी सं. 7 मिनट, 14 मिनट, मापने वाले 3 बीघा 7 विश्वास, मोगिनंद गाँव, काला–अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में स्थित संपत्ति के संबंध में मेसर्स रीजेंट रबर और मेसर्स ईस्टमैन रबर के बिक्री कर बकाया को दर्शाने वाली प्रतिकूल प्रविष्टि को हटा दें। 3 याचिकाकर्ता कंपनी के नाम पर संपत्ति को बदलने का निर्देश दिया जाता है।याचिकाकर्ता लागत का हकदार होगा, जिसकी मात्रा उत्तरदाता सं. 25,000/– आंकी गई है। 1 से 5 तक।."

एफ.

जी.

1 सिविल अपील सं. 8980–8981/2012 और सिविल अपील सं. 9212–9213/2012 2 सीडब्ल्यूपी सं. 306/2007

एच.

3. 7 सितंबर, 2007 के फैसले और आदेश से व्यथित, रिट याचिका में आधिकारिक उत्तरदाताओं ने समीक्षा 3 के लिए आवेदन किया।29 अक्टूबर, 2009 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित आदेश द्वारा समीक्षा के लिए आवेदन का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ाः-

"समीक्षा का वर्तमान आवेदन उचित और संतोषजनक स्पष्टीकरण के बिना एक वर्ष से अधिक की देरी के बाद दायर किया गया है।दिनांकित 07-09-07 आदेश की समीक्षा के लिए कोई पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है, जिसे आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के चार कोनों और प्रावधानों के भीतर लाया जा सकता है, जैसा कि पूर्वगामी निर्णयों में देखा गया है।इसलिए, केवल अलग दृष्टिकोण रखने के लिए, उक्त आदेश दिनांक 07-09-09 की समीक्षा नहीं की जा सकती है।इन परिस्थितियों में, दिनांकित 07-09-09 आदेश की समीक्षा के लिए वर्तमान आवेदन को देरी के साथ-साथ गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया जाता है।."

बी.

सी.

29 अक्टूबर, 2009 के उक्त आदेश को 2012 की सी. ए. संख्या 8981 में चुनौती दी गई है।

डी.

4. रिट याचिका में अनुरोध किए गए तथ्यों से पता चलता है कि पहले प्रतिवादी ने 18 जनवरी, 2005 को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला द्वारा (इसके बाद "स्टेट बैंक" की संक्षिप्तता के लिए) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "सरफेसी अधिनियम" की संक्षिप्तता के लिए) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई नीलामी में (7 सितंबर, 2007 के आदेश के परिचालन भाग में पूरी तरह से वर्णित, ऊपर निकाला गया) विषय संपत्ति खरीदी थी।मैसर्स रीजेंट रबर प्राइवेट लिमिटेड (संक्षिप्तता "रीजेंट" के लिए, इसके बाद) द्वारा विषय संपत्ति को शुरू में 11 अक्टूबर, 1999 को हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम (संक्षिप्तता "एच. पी. एफ. सी"., इसके बाद) के साथ गिरवी रखा गया था। रीजेंट द्वारा किए गए उल्लंघन के कारण, एच. पी. एफ. सी. ने संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया और इसे एक खुली नीलामी में मैसर्स ईस्टमैन रबर (इसके बाद संक्षिप्त "ईस्टमैन" के लिए) को बेच दिया।इसके बाद ईस्टमैन ने इस संपत्ति को स्टेट बैंक के साथ गिरवी रखा।हालांकि, ईस्टमैन ने भी अपने बकाया को समाप्त करने में चूक की थी, इसलिए इस संपत्ति को अंततः 18 जनवरी, 2005 को सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत (इसके बाद संक्षिप्तता "सरफेसी नियम" के लिए) एक खुली नीलामी में बिक्री के लिए रखा गया था।

ई.

एफ.

जी.

5. नीलामी में पहला उत्तरदाता रुपये की राशि का हवाला देकर सबसे अधिक बोली लगाने वाले के रूप में उभरा। 50,01,000-।निर्धारित समय के भीतर, पहला

3 सीएमपी सं. 1160/2008 ए

एच.

779

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम एम/एस. ए. जे.

इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड [दीपांकर दत्त, जे.] ए.

प्रत्यर्थी ने पूरी बोली राशि का भुगतान किया, जिसके बाद सरफेसी नियमों के नियम 9 (6) और (10) के प्रावधानों के अनुसार, 21 जुलाई, 2005 का बिक्री प्रमाण पत्र निम्नलिखित प्रभाव से जारी किया गया थाः–

"बिक्री मूल्य की पूरी प्राप्ति और अनुसूचित संपत्ति की डिलीवरी और कब्जा सौंप दिया।अनुसूचित संपत्ति की बिक्री अधोहस्ताक्षरित द्वारा मांगे गए धन के जमा होने पर नीचे सूचीबद्ध सुरक्षित लेनदार को ज्ञात सभी बाधाओं से मुक्त कर दी गई थी।."

बी.

6. बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के बाद, स्टेट बैंक ने 24 फरवरी, 2006 को अपने पत्र द्वारा राज्य के कर विभाग सहित विभिन्न प्राधिकरणों को पहले प्रतिवादी को विषय संपत्ति की बिक्री के बारे में सूचित किया।समय के साथ, पहले प्रतिवादी ने 17 अगस्त, 2006 के आदेश के माध्यम से राज्य से अनुमति प्राप्त की और परिणामस्वरूप 6 सितंबर, 2006 को बिक्री विलेख निष्पादित और पंजीकृत करने में सक्षम हुआ।

सी.

7. प्रथम प्रत्यर्थी ने अपने नाम पर विषय संपत्ति के उत्परिवर्तन के लिए आवेदन किया था और अब उल्लिखित परिस्थितियों में 22 दिसंबर, 2006 को उसकी अस्वीकृति का आदेश पारित किया गया था।18 जनवरी, 2005 को हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 (इसके बाद "एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम" की संक्षिप्तता के लिए) के प्रावधानों के तहत रीजेंट और ईस्टमैन के खिलाफ मूल्यांकन वर्षों 1998–1999,1999–2000,2000–2001 और 2001–2002 के संबंध में एक एकतरफा मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था। 19,03,845–और Rs.13, क्रमशः 73,115/–।एकतरफा मूल्यांकन आदेश की तारीख को ध्यान में रखते हुए, यह बहुत स्वाभाविक है कि जब पहले प्रतिवादी ने अंततः आयोजित नीलामी में (18 जनवरी, 2005 को) विषय संपत्ति खरीदने के लिए अपनी बोली की पेशकश की, तो रीजेंट या ईस्टमैन में से किसी का भी बकाया दायित्व किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में प्रतिबिंबित नहीं हो सका और न ही दिखाई दिया।हालांकि, रीजेंट और ईस्टमैन के इस दायित्व को देखते हुए, इसके नाम पर विषय संपत्ति के संबंध में उत्परिवर्तन के लिए पहले प्रतिवादी का आवेदन खारिज कर दिया गया। इस तरह के आदेश से पता चला कि आबकारी और कराधान अधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर के कहने पर, तहसीलदार, नाहन द्वारा एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत रीजेंट और ईस्टमैन द्वारा देय कर के बकाया की मांग के संबंध में लाल स्याही में प्रविष्टियां की गई थीं।

डी.

ई.

एफ.

जी.

8. 22 दिसंबर, 2006 के अस्वीकृति के आदेश पर रिट याचिका में हमला किया गया था और आदेशों की मांग की गई थी (i) रीजेंट और ईस्टमैन की बिक्री कर देयता के संबंध में प्रतिकूल प्रविष्टियों को हटाने; (ii) तहसीलदार को विषय संपत्ति को बदलने का निर्देश, रद्द करने के बाद।

एच.

22 दिसंबर 2006 के आदेश का; और (iii) आबकारी और कराधान अधिकारी की कार्रवाई को अवैध, अन्यायपूर्ण और कानून के अधिकार के बिना घोषित करना।

9. एक विवादित सुनवाई पर, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अनुच्छेद 2 में ऊपर उल्लिखित शर्तों पर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया।10. हम 7 सितंबर, 2007 के विवादित फैसले के कुछ अन्य अनुच्छेदों को यहाँ प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:–

बी.

"निस्संदेह, कर अधिनियम की धारा 16–बी में एक गैर–अस्थाई खंड भी शामिल है, जो एक व्यापारी द्वारा देय कर की राशि को व्यापारी की संपत्ति पर पहला शुल्क बनाता है।इस प्रकार, स्पष्ट रूप से दोनों कानूनों के प्रावधानों के बीच टकराव है।

सी.

शक्तियाँ निरपेक्ष हैं और अधिनियम की धारा 35 में निहित गैर–अवरोधक खंड को देखते हुए, किसी भी अन्य कानून में निहित सभी असंगत प्रावधानों पर एक प्रबल प्रभाव होगा।यह अधिनियम एक विशेष क़ानून होने के नाते, जिसे बाद में केंद्र सरकार (एस. आई. सी., संसद) द्वारा अधिनियमित किया गया था, हमारे विचार में, कर अधिनियम में निहित असंगत प्रावधानों को ओवरराइड करेगा। यह संवैधानिक प्रावधानों की योजना में भी है।इसलिए, व्यापारी की संपत्ति पर राज्य के पहले शुल्क के बावजूद बैंक को संपत्ति पर कब्जा करने और उसे बेचने का अधिकार है।

डी.

ई.

इस मुद्दे को दूसरे दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत, निर्धारण प्राधिकरण को दाखिल किए गए विवरणी के आधार पर विक्रेता से देय कर की राशि का आकलन करना आवश्यक है।यदि निर्धारण प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट नहीं है कि प्रस्तुत विवरणी सही और पूर्ण है या कि कोई विवरणी दाखिल नहीं की गई है, तो वह एक नोटिस देगा, सुनवाई का अवसर देगा और जैसा भी मामला उत्पन्न हो, सर्वोत्तम निर्णय विधि अपनाएगा और विक्रेता से देय कर की राशि का आकलन करेगा।यह कर अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रदान किया गया है। इस प्रकार निर्धारित राशि का भुगतान निर्धारिती द्वारा निर्धारण प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस में निर्धारित समय के भीतर किया जाना आवश्यक है, जिसमें विफल रहने पर देय राशि भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य है जैसा कि धारा 16 के तहत प्रदान किया गया है, जो, हालांकि, गैर–अबाधित खंड ए को देखते हुए।

एफ.

जी.

एच.

781

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम एम/एस. ए. जे.

इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड [दीपांकर दत्त, जे.] ए.

धारा 16 ए में निहित केवल तभी लागू होता है जब विक्रेता उसे लिखित रूप में नोटिस जारी किए जाने पर देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।अब, वर्तमान मामले में किसी भी विक्रेता को धारा 14 (7) या धारा 16 ए के तहत निर्धारित मांग का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।प्रत्यर्थी की कार्रवाई सं। 5 उत्तरदाताओं से पूछने में नहीं। 3 और 4 और उत्तरदाताओं की कार्रवाई भी नहीं। 4 प्रत्यर्थी सं. के अनुरोध पर कार्य करना। 5 बकाया कर की प्रविष्टियों को (लाल स्याही में) वसूली योग्य बनाना क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि राजस्व इस प्रकार कानून में खराब है।इसी कारण से, बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए राज्य द्वारा जारी अनापत्ति के बावजूद, इस प्रकार कर अधिनियम के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है।

बी.

सी.

इसके अलावा, विक्रेता की संपत्ति पर पहला शुल्क लगाने का प्रत्यर्थी–राज्य का अधिकार केवल तभी हो सकता है जब कर अधिनियम के तहत देय राशि का उचित निर्णय और निर्धारण हो और इसके अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि कर विक्रेता द्वारा देय और देय है।जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक आवेश का कोई क्रिस्टलीकरण नहीं हो सकता है।राज्य का प्रभार अस्थायी शुल्क नहीं है।

डी.

तत्काल मामले में बैंक ने पहले ही अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया था और मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा पारित 18–01–05 दिनांकित मूल्यांकन आदेश से बहुत पहले संपत्ति पर कब्जा कर लिया था।वास्तव में उक्त तिथि से पहले संपत्ति को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचे जाने का विज्ञापन दिया गया था।कर अधिनियम की धारा 16 के तहत कार्रवाई करने से पहले धारा 14 और 16 ए के तहत कभी भी मांग का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।यह मानते हुए कि पहला आरोप निर्धारण के आदेश के पारित होने से पहले लगाया गया था, हमारे विचार में अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान कर अधिनियम की धारा 16 बी के असंगत प्रावधानों को ओवरराइड करेंगे, जिससे केवल यह निष्कर्ष निकलेगा कि संपत्ति पर कोई पूर्व शुल्क नहीं है, सिवाय उस बैंक के जिसके साथ संपत्ति गिरवी रखी गई थी।इस प्रकार, हमारे विचार में, सभी कोणों से देखने पर राज्य की कार्रवाई को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

ई.

एफ.

जी.

पहली बार 11–07–06 पर संपत्ति के बोझ का निर्माण या स्थिति दर्ज की गई थी।अधिकारों का अभिलेख, अर्थात राजस्व अभिलेख, संपत्ति के बोझ या प्रथम प्रभार के सृजन की किसी भी स्थिति को नहीं दर्शाता है।

एच.

इस तथ्य के बारे में कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के पक्ष में बैंक द्वारा नीलामी और बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में विधिवत सूचित किया गया था।यह केवल तभी हुआ जब राज्य गैर–बोझ के बारे में संतुष्ट था कि याचिकाकर्ता के नाम पर संपत्ति हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई थी।वास्तव में, राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर बैंक ने संपत्ति को बोझिल माना और उसे प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया।इसने इसे अपने हाथ में ले लिया और इसे एक सुरक्षित संपत्ति के रूप में नीलामी के लिए रखा, जिसे याचिकाकर्ता ने खरीदा है।."

बी.

(हमारा जोर दें)

सी.

सिविल अपील Nos.9212–9213/2012

11. पंजाब नेशनल बैंक (संक्षिप्त "पी. एन. बी"., इसके बाद) ने कालीनों के निर्माण के लिए मेसर्स सुपर्रग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (संक्षिप्त "उधारकर्ता" के लिए, इसके बाद) को सावधि ऋण को मंजूरी दी।पी. एन. बी. द्वारा उधारकर्ता को जो ऋण प्रदान किया गया था, वह सोलन जिले के बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उसके कारखाने परिसर को बंधक बनाकर सुरक्षित किया गया था।श्री आर. टी. तेजपाल और श्री दुर्गा दास गारंटर के रूप में खड़े थे (संक्षिप्त "गारंटर" के लिए, इसके बाद)।उधारकर्ता का ऋण खाता अनियमित हो गया।पी. एन. बी. द्वारा उधारकर्ता और गारंटरों के खिलाफ एक करोड़ रुपये की वसूली का मुकदमा दायर किया गया था। 42.29 लाख।बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 (इसके बाद "डी. आर. टी. अधिनियम" की संक्षिप्तता के लिए) के कारण ऋणों की वसूली और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के गठन के बाद, मुकदमे को ऋण वसूली न्यायाधिकरण, जयपुर (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए "डी. आर. टी., जयपुर") को स्थानांतरित कर दिया गया था।पी. एन. बी. के पक्ष में और ऋणकर्ता और गारंटरों के खिलाफ 12 नवंबर, 1998 को सहमति आदेश पारित किया गया था।ऋणकर्ता द्वारा आदेश की संतुष्टि के लिए आंशिक भुगतान किया गया था, लेकिन शेष भुगतान नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पी. एन. बी. ने 14 मई, 1999 को डी. आर. टी., जयपुर के समक्ष रु. 2,65,97,162.50 की राशि के लिए वसूली प्रमाण पत्र का निष्पादन किया।इसके बाद, निष्पादन के लिए कार्यवाही 2 जनवरी, 2000 को ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (संक्षिप्तता के लिए "डी. आर. टी., चंडीगढ़") को स्थानांतरित कर दी गई।कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, जिला सोलन (इसके बाद संक्षिप्त "आयुक्त" के लिए) ने 'द ट्रिब्यून' में अपने 12 फरवरी, 2000 के संस्करण में उस संपत्ति की नीलामी के लिए एक नोटिस जारी किया, जिसे उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखा गया था।बिक्री कर की बकाया राशि की वसूली के लिए नीलामी 3 मार्च, 2001 के लिए निर्धारित की गई थी, जो कि Rs.32,72,365/– थी, जो कि वसूली योग्य थी

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

783

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम एम/एस. ए. जे.

इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड [दीपांकर दत्त, जे.] ए.

हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में (इसके बाद संक्षिप्त "एच. पी. एल. आर. अधिनियम" के लिए)।पी. एन. बी. ने नीलामी पर रोक लगाने के लिए डी. आर. टी., चंडीगढ़ से जुड़े वसूली अधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसके बाद उक्त वसूली अधिकारी ने

इस न्यायालय द्वारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर बनाम नेशनल आयरन एंड स्टील रोलिंग कॉर्पोरेशन और अन्य में निर्धारित कानून। 4 ने निष्कर्ष निकाला कि

बी.

राज्य द्वारा बिक्री कर बकाया की वसूली के लिए शुरू की गई नीलामी को देखते हुए गिरवी रखी गई संपत्ति के खिलाफ पी. एन. बी. का दावा गौण हो गया था।इसके परिणामस्वरूप पी. एन. बी. ने राज्य, आयुक्त, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ के वसूली अधिकारी, उधारकर्ता और गारंटरों के खिलाफ एक रिट याचिका 5 दायर करके अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू किया।

सी.

12. रिट याचिका में बिक्री कर बकाया की वसूली के लिए बद्दी, जिला सोलन में उधारकर्ता की बंधक संपत्ति की नीलामी द्वारा बिक्री पर रोक लगाने के आदेश और एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी को संविधान, डी. आर. टी. अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1872, अनुबंध अधिनियम, 1872 और बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद संक्षिप्त "बैंकिंग कंपनी अधिनियम" के प्रावधानों के विपरीत) के रूप में समाप्त करने के लिए प्रार्थना की गई थी।

डी.

13. राज्य और आयुक्त ने यह तर्क देते हुए रिट याचिका का विरोध किया कि उधारकर्ता ने रु। एच. पी. एल. आर. अधिनियम के तहत बकाया घोषित बिक्री कर के कारण हिमाचल प्रदेश सरकार को <आई. डी. 1. यह भी संतोषजनक था कि राज्य राशि की वसूली करने में सक्षम है क्योंकि उसका एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी के साथ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 73 (3) के तहत विक्रेता की संपत्ति पर पहला शुल्क है।यह भी संतोषजनक था कि पी. एन. बी. की ओर से यह तर्क देना गलत है कि उसका ऋण समय से पहले है।एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी 21 अक्टूबर, 1994 से लागू हुई थी, जबकि पी. एन. बी. के पक्ष में सहमति आदेश 12 नवंबर, 1998 को पारित किया गया था।यह स्थिति होने के कारण, एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी के प्रावधान लागू होंगे और पी. एन. बी. किसी भी राहत का हकदार नहीं था।राज्य में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया था

ई.

एफ.

जी.

बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (ऊपर) जहाँ यह न्यायालय

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 की धारा 11–एएएए पर विचार किया गया, जो

4 (1995) 2 एससीसी 19

5 2001 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 239

एच.

एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी के साथ पारिमेटेरिया है, जिससे विक्रेता की संपत्ति पर पहला शुल्क लगाया जाता है।उक्त निर्णय के आलोक में, पी. एन. बी. का यह तर्क कि उसे ऋण की वसूली का पूर्व अधिकार था, तथ्यहीन और वास्तव में गलत धारणा का दावा किया गया था।

14. पी. एन. बी. की रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा अपने 2 जनवरी, 2008 के फैसले और आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई।7 सितंबर, 2007 को उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय और आदेश

बी.

रिट याचिका 6 जिसका शीर्षक मेसर्स ए. जे. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम.की स्थिति

एच. पी. और अन्य, 2012 की सिविल अपील संख्या 8980 में आक्षेपित निर्णय और आदेश होने के कारण, इस पर भरोसा किया गया था।हालांकि मैसर्स ए. जे. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) का निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय ने सरफेसी अधिनियम की धारा 35 को अधिकार से बाहर घोषित नहीं किया था, पी. एन. बी. की रिट याचिका पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी को सरफेसी अधिनियम की धारा 35 के साथ असंगत ठहराया। और, फिर उक्त धारा को संविधान और बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया। पी. एन. बी. द्वारा दायर रिट याचिका को तदनुसार अनुमति दी गई और यह अभिनिर्धारित किया गया कि पी. एन. बी. कानून के अनुसार उधारकर्ता की बंधक संपत्ति को बेचने का हकदार है।

सी.

डी.

15. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने भी निम्नानुसार अभिलिखित कियाः

:–

ई.

"वर्तमान मामले में, बंधक वर्ष 1984 में बनाया गया था और याचिकाकर्ता बैंक के पक्ष में और उत्तरदाता संख्या 4 से 6 के खिलाफ सहमति आदेश पारित किया गया था।रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि बिक्री कर अधिनियम की धारा 16 के तहत कार्रवाई करने से पहले धारा 14 और 16 ए के तहत कोई मांग का नोटिस जारी किया गया था।जारी किए गए मांग के नोटिस की प्रतियां और जब इसे जारी किया गया था, तो उत्तरदाता संख्या 1 और 2 द्वारा संपत्ति बेचने और याचिकाकर्ता बैंक की वरीयता में भूमि राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के अपने अधिकार के बारे में अनुरोध करने के अलावा रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई हैं।इसलिए, देना बैंक के मामले में निर्णय को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यह केवल असुरक्षित लेनदारों की वरीयता में बिक्री कर की वसूली के लिए राज्य को तरजीही अधिकार देता है, लेकिन एक बार जब विचाराधीन संपत्ति पहले से ही बंधक हो गई थी और वे समय से पहले आगे बढ़ गए थे, तो वे

एफ.

जी.

6 सीडब्ल्यूपी सं. 306/2007 ए

एच.

785

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम एम/एस. ए. जे.

अपने पक्ष में पारित सहमति डिक्री के अनुसरण में राशि की वसूली कर सकते हैं, राज्य को संपत्ति बेचने का कोई अधिमानी अधिकार नहीं है और इसलिए, याचिकाकर्ता बैंक गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचने और उनके बकाया राशि की वसूली करने का हकदार है और राज्य बैंक के पास बची हुई शेष राशि, यदि कोई हो, की वसूली करने का हकदार होगा या वैकल्पिक रूप से, वे कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करके राशि की वसूली के लिए उत्तरदाता संख्या 4 से 6 के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।उपरोक्त मामले में खंड पीठ ने पहले ही यह विचार लिया है कि अधिनियम की धारा 35 के प्रावधान कर अधिनियम की धारा 16 बी के असंगत प्रावधानों को ओवरराइड करेंगे और इस तरह, बिक्री कर अधिनियम की धारा 16 बी के प्रावधान हैं क्योंकि वे अधिनियम की धारा 35 के साथ असंगत हैं जिन्हें संविधान के विपरीत घोषित किया जाता है।."

बी.

सी.

(हमारा जोर दें) 16।2 जनवरी, 2008 के फैसले और आदेश से असंतुष्ट राज्य और आयुक्त ने 22 मई, 2008 को सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत 2 जनवरी, 2008 के फैसले/आदेश में सुधार आदि के लिए एक आवेदन 7 दायर किया।इस तरह की याचिका में न्याय, समानता और निष्पक्षता के हित में 2 जनवरी, 2008 के फैसले और आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया गया था ताकि याचिकाकर्ताओं को इस तरह के फैसले और आदेश के भारी प्रतिकूल परिणामों से बचाया जा सके।17. उक्त आवेदन पर उसी खंड पीठ द्वारा विचार किया गया (जिसने रिट याचिका का फैसला किया था) और 5 जून, 2008 के निम्नलिखित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गयाः

डी.

ई.

"सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत यह आवेदन कथित रूप से हमारे दिनांकित 2.1.2008 के फैसले में सुधार के लिए दायर किया गया है।हालाँकि, प्रार्थना खंड में यह प्रार्थना की गई है कि 2 जनवरी, 2008 के फैसले को वापस लिया जाए।यह स्पष्ट है कि इस आवेदन की आड़ में राज्य फैसले की समीक्षा की मांग कर रहा है।

एफ.

जी.

आवेदन में लिए गए विभिन्न आधारों के साथ हमें खुद पर बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है।आवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि यह वस्तुतः एक समीक्षा याचिका है, लेकिन इसे सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत एक आवेदन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

7 2008 का सीएमपी सं. 1205

एच.

अब इस आवेदन में विभिन्न तथ्यों का अनुरोध किया गया है, जिन्हें रिट याचिका की सुनवाई और निर्णय के समय न तो अनुरोध किया गया था और न ही तर्क दिया गया था।सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत एक आवेदन में, आवेदकों को पूरी तरह से नई याचिकाएं दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो रिट याचिका में कभी नहीं ली गई थीं या बहस नहीं की गई थी।यदि

राज्य फैसले से व्यथित है, तो उसके पास शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने का उपाय है।निर्णय के अभिलेख में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है।आवेदन बिना किसी योग्यता के होने और पूरी तरह से गलत धारणा होने के कारण खारिज कर दिया जाता है।

बी.

18. रिट याचिका को अनुमति देने वाले 2 जनवरी, 2008 के फैसले और आदेश को 2012 की सिविल अपील संख्या 9212 में चुनौती दी गई है, जबकि सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत आवेदन को खारिज करने का आदेश सिविल अपील संख्या 9213/2012 में चुनौती का विषय है।

सी.

इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

19. रिट याचिकाओं में दावा की गई राहत की मंजूरी और सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत निर्णय और आदेश की समीक्षा के लिए राज्य और उसके अधिकारियों के दो आवेदनों को खारिज करने के कारण राज्य और उसके अधिकारियों को अलग-अलग विशेष अनुमति याचिकाओं के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

डी.

20. इन कार्यवाहियों में पारित कुछ आदेशों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।21. पी. एन. बी. की रिट याचिका पर पारित निर्णय और आदेश से राज्य द्वारा लाई गई विशेष अनुमति याचिकाओं और सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत राज्य के आवेदन को खारिज करने के आदेश पर, इस न्यायालय द्वारा 11 मार्च, 2011 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें निम्नलिखित लिखा थाः

ई.

"प्रत्यर्थी-बैंक ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें तर्क दिया गया है कि उन्होंने अपने बकाया की वसूली कर ली है और संपत्ति भी जारी कर दी है, जो उधारकर्ता के पक्ष में बंधक के तहत थी क्योंकि उन्होंने ब्याज के साथ ऋण राशि को समाप्त कर दिया है।राज्य की ओर से पेश वकील निर्देश प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक सप्ताह का समय चाहते हैं।

एफ.

वह तदनुसार निर्देश प्राप्त कर सकता है।18.3.2011 पर फिर से सूचित करें।."

जी.

22. उपरोक्त विशेष अनुमति याचिकाओं पर इस न्यायालय द्वारा पारित 8 अप्रैल, 2011 के अगले प्रभावी आदेश में दर्ज किया गया हैः

एच.

787

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम एम/एस. ए. जे.

इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड [दीपांकर दत्त, जे.] ए.

ए.

"जहाँ तक इन याचिकाओं का संबंध है, हमारी सुविचारित राय में, इन याचिकाओं को आंशिक रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निष्फल बना दिया गया है कि बैंक, जो एक प्रतिस्पर्धी प्रतिवादी है, नहीं। 1 इसमें, पहले ही अपने बकाया की वसूली

कर चुका है और उसके बाद संपत्ति को उसके अनुमान से मुक्त कर दिया है।अतः, प्रत्यर्थी का नाम नं। 1 को प्रत्यर्थियों की श्रेणी और प्रत्यर्थी सं. 1 के खिलाफ याचिकाओं से हटा दिया गया है। 1 स्टैंड बर्खास्त।ये याचिकाएँ अब तक प्रतिवादी एन. ओ. एस. के रूप में भी खारिज की जाती हैं। 3 और 5 संबंधित हैं।इसलिए, ये याचिकाएं केवल प्रतिवादी एन. ओ. एस. के खिलाफ बनी रहती हैं। 2 और 4.."

बी.

23. उपरोक्त आदेश के परिणामस्वरूप, पी. एन. बी. (पहला प्रतिवादी), उधारकर्ता (दूसरा प्रतिवादी) और श्री दुर्गा दास (पांचवां प्रतिवादी) के खिलाफ विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज हो गईं और रिकवरी अधिकारी, डी. आर. टी., चंडीगढ़ (दूसरा प्रतिवादी) और श्री आर. टी. तेजपाल (चौथा प्रतिवादी) बच गए।

सी.

24. व्यावहारिक रूप से, पी. एन. बी. द्वारा विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करने के बाद के घटनाक्रमों को देखते हुए पी. एन. बी. के कार्यवाही से बाहर निकलने के साथ, जिसके परिणामस्वरूप पी. एन. बी. द्वारा विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी गईं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मुद्दा संबंधित पक्षों, यानी राज्य और पी. एन. बी. के बीच है कि क्या उच्च न्यायालय को एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16-बी को गैरकानूनी घोषित करने में उचित ठहराया गया था।

डी.

ई.

25. ऐसी स्थिति के बावजूद, इस न्यायालय ने 7 दिसंबर, 2012 को दोनों याचिकाओं पर अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान की, जिस पर सुनवाई और निर्णय के लिए हमारे सामने अपीलें रखी गईं।

मुद्दे

एफ.

26. इन अपीलों पर निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दे हैं:(i) क्या 8 अप्रैल, 2011 के आदेश द्वारा पी. एन. बी. की विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के मद्देनजर, एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16-बी को गैरकानूनी घोषित करने वाले निर्णय और आदेश की बिल्कुल भी जांच की जा सकती है?

जी.

(ii) क्या उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए, क्या एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16-बी को उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए था कि यह संविधान या बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है?

एच.

((iii) क्या रिट याचिकाओं को प्रेरित करने वाले तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को वापस करना उचित ठहराया कि विषय संपत्तियों पर पहले आरोप का राज्य का दावा प्रमाणित नहीं है?

((iv) क्या उच्च न्यायालय द्वारा राज्य द्वारा वापस बुलाने के लिए स्थापित समीक्षा याचिका/आवेदन को खारिज करने से कोई कानूनी या अन्यथा दुर्बलता होती है?

बी.

(v) अपीलार्थी किस राहत, यदि कोई हो, के हकदार हैं? विश्लेषण और कारण

27. जहाँ तक पहले मुद्दे का संबंध है, हम ए. आर. अंतुले बनाम संविधान पीठ के फैसले पर ध्यान दे सकते हैं। आर. एस. नायक 8.वहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विधि के प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक यह है कि विधि के एक सक्षम न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय को प्रक्रिया के कानून द्वारा विचार की गई आगे की कार्यवाही में उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय के अधीन अंतिम निर्णय के रूप में लिया जाना चाहिए।हालाँकि, यह न्यायालय शीर्ष न्यायालय होने के नाते, याचिकाकर्ता किसी भी उच्च मंच से संपर्क नहीं कर सकता है, लेकिन केवल एक पेटेंट त्रुटि को ठीक करने के लिए अपने समीक्षा क्षेत्राधिकार का आह्वान कर सकता है।समीक्षा करने की शक्ति भी इस न्यायालय में निहित है और यदि न्यायिक संतुष्टि हो जाती है कि एक आदेश पारित किया गया है, जिसे पारित नहीं किया जाना चाहिए था, और यह स्वीकार किया जाता है कि एक गलती की गई है, तो यह न केवल उचित है, बल्कि इस न्यायालय का कर्तव्य भी है कि वह अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके गलती को सुधारें।न्यायालय की गलती को स्वयं न्यायालय द्वारा बिना किसी बाधा के ठीक किया जा सकता है।यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि न्यायालय के किसी कार्य से उसके समक्ष किसी भी पक्ष को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए।न्यायिक संतुष्टि तक पहुँचने पर गलती को स्वीकार करना न्यायालय की स्थिति या अधिकार के खिलाफ नहीं है; शायद यह दोनों को बढ़ाएगा।

सी.

डी.

ई.

एफ.

28. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सामान्य परिस्थितियों में यह न्यायालय किसी ऐसे मुद्दे को फिर से खोलने की अनुमति नहीं देगा जो अंतिम रूप ले चुका है और वह भी उस पक्ष की अनुपस्थिति में जिसे इस तरह के आदेश के कारण लाभ हुआ है।हालाँकि, यह एक सामान्य मामला नहीं है और हम बिना किसी हिचकिचाहट के सुधार की आवश्यकता में एक बड़ी त्रुटि के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज कर सकते हैं।29. एक कानून, जिसे राज्य विधानमंडल को लागू करने की क्षमता थी, को उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है, जिसे दाखिल करने के बाद और उसके निपटारे से पहले के घटनाक्रमों के कारण निष्फल घोषित कर दिया गया था, लेकिन इस तरह के घटनाक्रमों को उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

जी.

8 (1988) 2 एससीसी 602 ए

एच.

789

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम एम/एस. ए. जे.

इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड [दीपांकर दत्त, जे.] ए.

30. इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, जहां उच्च न्यायालय के 2 जनवरी, 2008 के निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई थी, पी. एन. बी. ने 30 सितंबर, 2010 को एक हलफनामा दायर किया, जिसका उल्लेख इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8 अप्रैल, 2011 में किया गया था।हलफनामे को पढ़ने से पता चलता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (पीएनबी द्वारा दायर) के लंबित रहने के दौरान, उधारकर्ता ने एक समझौता प्रस्ताव की पेशकश की थी जिसे पीएनबी ने स्वीकार कर लिया था। इसके संदर्भ में, ऋणकर्ता ने ऋण देयता के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए पीएनबी को Rs.36 लाख की राशि का भुगतान किया।समझौता राशि की प्राप्ति पर, गिरवी रखी गई संपत्ति का स्वामित्व विलेख उधारकर्ता को विधिवत वापस कर दिया गया था। इसके अनुसार, पी. एन. बी. ने 13 अगस्त, 2002 को रिकवरी अधिकारी, डी. आर. टी., चंडीगढ़ के समक्ष फांसी के मामले को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया और मामले को वापस लिए जाने के रूप में निपटाया गया, जिसे रिकॉर्ड रूम में भेज दिया गया।यह आगे स्पष्ट रूप से उक्त हलफनामे के पैराग्राफ 3 (जी) में व्यक्त किया गया था।

बी.

सी.

कि "प्रत्यर्थी की शिकायत नहीं।1 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में उठाया गया मुद्दा आगे नहीं टिकता है और यह कि रिट याचिका दायर करने का उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका है और रिट याचिका को निष्फल कर दिया गया है।अंत में,

डी.

पैराग्राफ 5 में, पी. एन. बी. ने प्रस्तुत किया कि "यह बिना शर्त अपना कार्यकाल बढ़ाता है।

27 नवंबर, 2007 को रिट याचिका में आदेश सुरक्षित रखने के समय उपरोक्त तथ्यों को माननीय उच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाने के लिए क्षमा याचना "और यह कि" उपरोक्त तथ्यों को अनजाने में माननीय उच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया जा सका और यह जानबूझकर या जानबूझकर नहीं किया गया था "।

ई.

31. इसलिए, सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए, उच्च न्यायालय ने अपने 2 जनवरी, 2008 के फैसले और आदेश द्वारा एक निष्फल रिट याचिका का फैसला किया और इस प्रक्रिया में, एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जब वह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं थी।

एफ.

32. हमारी सुविचारित राय में, पी. एन. बी. के खिलाफ केवल विशेष अनुमति याचिका को निष्फल बताते हुए खारिज करना इस न्यायालय की ओर से एक स्पष्ट लेकिन अनजाने में हुई त्रुटि थी; इस न्यायालय के लिए उपयुक्त तरीका पी. एन. बी. द्वारा 30 सितंबर, 2010 को अपने उपरोक्त हलफनामे में लिए गए स्पष्ट रुख को ध्यान में रखते हुए पी. एन. बी. की रिट याचिका को निष्फल बताते हुए खारिज करना होना चाहिए था कि संपत्ति को बंधक से मुक्त करने के निर्णय की तारीख को रिट याचिका पर निर्णय के लिए कुछ भी नहीं बचा था।

जी.

33. हम, तदनुसार, पहले मुद्दे का सकारात्मक उत्तर देते हैं।

एच.

34. दूसरे मुद्दे की ओर बढ़ते हुए, हम अपने दिमाग में स्पष्ट हैं कि इसका जवाब नकारात्मक में दिया जाना चाहिए।

35. इस मुद्दे का आसान जवाब हमने ऊपर जो चर्चा की है, उससे आता है।चूँकि रिट याचिका को निर्णय की तारीख को निष्फल कर दिया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय के लिए धारा 16–बी की वैधता पर निर्णय देना आवश्यक नहीं था। किसी प्रावधान की संवैधानिक वैधता पर निर्णय को शून्य में नहीं बल्कि तब आमंत्रित किया जाना चाहिए जब मामले का न्याय इस तरह के निर्णय की मांग करता हो।इसलिए, हम मानते हैं कि एक निष्फल रिट याचिका पर निर्णय अप्रासंगिक है और कभी भी किसी भी प्रभाव का नहीं हो सकता है।हालाँकि, हम अपने निर्णय को केवल इस तकनीकी बिंदु पर नहीं रखना चाहते हैं।2 जनवरी, 2008 के विवादित फैसले और आदेश से पहले और बाद में दिए गए कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ–साथ इस न्यायालय के फैसलों पर विचार करने के बाद, हमारी दृढ़ राय है कि यह मुद्दा कि क्या एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी देश के सर्वोच्च कानून सहित कानून के किसी भी प्रावधान के अधिकार से बाहर है।

बी.

सी.

लंबा रेज़ इंटीग्रा।

डी.

36. इस मुद्दे पर सभी निर्णयों का उल्लेख करके अपने निर्णय पर बोझ डालने के बजाय, हम केवल एक निर्णय का उल्लेख करना उचित समझते हैं –

यह न्यायालय (दिनांक 27 फरवरी, 2009) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम.

केरल राज्य 9, जो निश्चित रूप से इन दीवानी अपीलों में चुनौती दिए गए निर्णयों के बाद अस्तित्व में आया था।इस न्यायालय ने डी. आर. टी. अधिनियम और एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हुए, जैसा कि वह तब था, बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1959 की धारा 38–सी और केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 की धारा 26–बी के संबंध में, अन्य बातों के साथ–साथ यह अभिनिर्धारित किया किः

ई.

"116.डी. आर. टी. अधिनियम की धारा 34 (1) और प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 35 में निहित अबाधित खंड उन अधिनियमों के प्रावधानों को केवल तभी प्रभावी बनाते हैं जब किसी अन्य कानून या साधन में कुछ भी असंगत निहित हो जो किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी हो।दूसरे शब्दों में, यदि अन्य अधिनियमों में कोई प्रावधान नहीं है जो डी. आर. टी. अधिनियम या प्रतिभूतिकरण अधिनियम के साथ असंगत हैं, तो उन अधिनियमों में निहित प्रावधान अन्य विधानों पर हावी नहीं हो सकते हैं।बॉम्बे अधिनियम की धारा 38–सी और केरल अधिनियम की धारा 26–बी में भी गैर–अबाधित खंड हैं और अन्य ऋणों पर राज्य के प्रभार की प्राथमिकता को वैधानिक मान्यता देते हैं, जिसे भारतीय उच्च न्यायालयों द्वारा मान्यता दी गई थी।

एफ.

जी.

9 (2009) 4 एससीसी 94 ए

एच.

1950 से पहले भी।दूसरे शब्दों में, ये धाराएँ और अन्य राज्य विधानों में निहित इसी तरह के प्रावधान न केवल विक्रेता या बिक्री कर आदि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर पहला शुल्क लगाते हैं, बल्कि उन्हें अन्य कानूनों पर भी प्रबल प्रभाव देते हैं।

***

बी.

126. डी. आर. टी. अधिनियम और प्रतिभूतिकरण अधिनियम को लागू करते समय, संसद इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून से अवगत थी जिसमें राज्य के बकाया की प्राथमिकता को मान्यता दी गई थी।यदि संसद उधारकर्ता की संपत्ति पर बैंकों, वित्तीय संस्थानों या अन्य सुरक्षित लेनदारों के पक्ष में पहला प्रभार बनाने का इरादा रखती है, तो उसने कंपनी अधिनियम की धारा 529–ए या ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 11 (2) जैसे प्रावधानों को शामिल किया होगा और यह सुनिश्चित किया होगा कि न्यायिक घोषणाओं की श्रृंखला के बावजूद, बिक्री कर आदि की वसूली के मामले में बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य सुरक्षित लेनदारों के बकाया को राज्य के वैधानिक पहले प्रभार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि, मामले का तथ्य यह है कि अदालत या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने और निपटान करने के लिए सुरक्षित लेनदारों को असाधारण शक्ति प्रदान करने के बावजूद इनमें से किसी भी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है।इस चूक का कारण यह प्रतीत होता है कि नई कानूनी व्यवस्था में निजी कंपनियों को सुरक्षित परिसंपत्तियों के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई है।127. 'सुरक्षित लेनदार' की परिभाषा में प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी और बैंक/वित्तीय संस्थान की ओर से प्रतिभूतियां रखने वाला कोई अन्य न्यासी शामिल है।धारा 2 (1) (जेडए) और (वी) में 'प्रतिभूतिकरण कंपनी' और 'पुनर्निर्माण कंपनी' की परिभाषा से पता चलता है कि ये कंपनियां कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत निजी कंपनियां हो सकती हैं और जिनके पास प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 3 के तहत रिजर्व बैंक से पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो सकता है। जाहिर है, संसद का इरादा राज्य के संप्रभु ऋण पर निजी ऋणदाताओं के बकाया को प्राथमिकता देने का नहीं था।128. यदि डी. आर. टी. अधिनियम और प्रतिभूतिकरण अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या उस पृष्ठभूमि और संदर्भ को ध्यान में रखते हुए की जाती है जिसमें इन कानूनों को लागू किया गया था और

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

उनके अधिनियमन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से, यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों विधानों का उद्देश्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सुरक्षित लेनदारों के बकाया की शीघ्र वसूली के लिए एक नई व्यवस्था बनाना और किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत का न्यायनिर्णयन करना है जो बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य सुरक्षित लेनदारों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया है, लेकिन इसमें निहित प्रावधानों को बैंकों के पक्ष में पहला शुल्क बनाने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

बी.

129. यदि संसद राज्य विधानों के तहत बनाए गए पहले शुल्क पर बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य सुरक्षित लेनदारों के बकाया को प्राथमिकता देना चाहती है, तो श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 14–ए, ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 11 (2), संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 74 (1), खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 25 (2), उपहार कर अधिनियम की धारा 30 और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529–ए को डी. आर. टी. अधिनियम और प्रतिभूतिकरण अधिनियम में शामिल किया गया होगा।

सी.

डी.

130. निर्विवाद रूप से, दोनों अधिनियमों में श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम आदि के समान प्रावधान नहीं हैं। उस प्रभाव के लिए किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, एक ओर डी. आर. टी. अधिनियम और प्रतिभूतिकरण अधिनियम के प्रावधानों और दूसरी ओर बॉम्बे अधिनियम की धारा 38–सी और केरल अधिनियम की धारा 26–बी के बीच किसी भी संघर्ष या असंगति या अतिव्यापी को पढ़ना संभव नहीं है और डी. आर. टी. अधिनियम की धारा 34 (1) और प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 35 में निहित गैर–अबाधित खंडों को यह घोषणा करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है कि राज्य कानून के तहत बनाया गया पहला आरोप लागू नहीं होगा या बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य सुरक्षित लेनदारों द्वारा अपने बकाया की वसूली या प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन के लिए शुरू की गई कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा, जैसा भी मामला हो।."

ई.

एफ.

जी.

(हमारा जोर दें) 37।सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (उपरोक्त) में इस निर्णय के बहुत बाद संसद ने प्रतिभूति ब्याज और ऋणों की वसूली के प्रवर्तन द्वारा डी. आर. टी. अधिनियम और सरफेसी अधिनियम में संशोधन करने के लिए कदम उठाया।

एच.

793

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम एम/एस. ए. जे.

इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड [दीपांकर दत्त, जे.] ए.

कानून और विविध प्रावधान (संशोधन) अधिनियम, 2016।24 जनवरी, 2020 से एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम में अध्याय 4–ए. पेश किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ धारा 26 ई भी शामिल है, जिसमें उक्त अध्याय में कहीं और निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, प्रतिभूति के प्रवर्तन में अन्य सभी बकाया राशि पर एक सुरक्षित लेनदार को भुगतान करने में प्राथमिकता दी गई है।इससे पहले, 1 सितंबर, 2016 से, डी. आर. टी. अधिनियम में धारा 31 बी को लागू किया गया था, जो एक सुरक्षित लेनदार को प्राथमिकता के समान लाभ प्रदान करती है।हमें स्पष्ट कारणों से संशोधित प्रावधानों पर यहाँ विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।

बी.

38. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (उपरोक्त) में निर्णय के आलोक में जो महत्वपूर्ण प्रतीत होता है वह यह है कि चार दीवानी अपीलों में से दो में आक्षेपित रिट याचिकाओं का निपटारा करने वाले निर्णयों और आदेशों में निष्कर्ष–पहली तारीख 7 सितंबर, 2007 और दूसरी तारीख 2 जनवरी, 2008–सरफेसी अधिनियम की धारा 35 के दायरे, दायरे और प्रयोज्यता के संबंध में, विशेष रूप से एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी को संविधान और बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए, अपना आधार खो देते हैं और अब इसे कानूनी और वैध नहीं माना जा सकता है।एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 35 को एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 26 ई को ध्यान में रखते हुए राज्य के बकाया पर प्राथमिकता का दावा करने के लिए किसी सुरक्षित लेनदार को कोई अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं माना जा सकता था, क्योंकि इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, जिसका वर्तमान में दावा किया जा सकता है।

सी.

डी.

ई.

39. उल्लेखनीय है कि पी. एन. बी. की रिट याचिका पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय सरफेसी अधिनियम से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था।यह मामला डी. आर. टी. अधिनियम के तहत कार्यवाही से उच्च न्यायालय तक गया था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के लिए एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी की वैधता पर निर्णय देने का कोई अवसर नहीं था।

एफ.

मेसर्स A.J.Infrastructures प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) में अपनी समन्वय पीठ द्वारा।

इसलिए उच्च न्यायालय, हमारे सुविचारित विचार में, स्पष्ट त्रुटि में था।40. उपरोक्त के आलोक में, दूसरे मुद्दे का उत्तर देते समय हम मानते हैं कि एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी पूरी तरह से वैध कानून है और संविधान और/या बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है जैसा कि उच्च न्यायालय के 2 जनवरी, 2008 के फैसले में गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया गया है।इसके अलावा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (उपरोक्त) में निर्णय के बाद, हम मानते हैं कि एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी और सरफेसी अधिनियम की धारा 35 को छूते हुए 7 सितंबर, 2007 के निर्णय में कोई भी अवलोकन प्रभावी नहीं है।

जी.

एच.

41. अब तीसरे मुद्दे पर विचार करने का समय आ गया है।

42. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 2012 के सी. ए. Nos.9212–9213 को रिट याचिकाकर्ता, यानी पी. एन. बी. के कारण खारिज कर दिया गया है। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस प्रश्न पर गहराई से विचार करना उचित नहीं होगा कि क्या राज्य का संबंधित संपत्ति पर पहला प्रभार है या नहीं।ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि पीएनबी का प्रतिनिधित्व उस तारीख को हमारे सामने नहीं किया गया था जब दीवानी अपीलों को पूर्व में खारिज करने के फैसले को सुरक्षित रखा गया था और

राज्य द्वारा इस तरह के आदेश को वापस लेने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था।हम पीएनबी के खिलाफ कार्यवाही को फिर से शुरू करना उचित नहीं मानते हैं, इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि 8 अप्रैल, 2011 के इस न्यायालय के आदेश के बाद से एक दशक से अधिक समय बीत चुका है।हालाँकि, यदि पी. एन. बी. की रिट याचिका में आई. एस. बनी रहती, तो हम 7 सितंबर, 2007 के निर्णय में अन्य कारणों की स्वीकृति पर इसके पक्ष में फैसला देते, जिसे हमने ऊपर निकाले गए हिस्से में उजागर किया है।इसलिए हम मामले को शांत करने देंगे।

बी.

सी.

डी.

43. 2012 के सी. ए. Nos.9212–9213 से अलग होने से पहले, हम यह देख सकते हैं कि दायित्व के निर्धारण के अभाव के प्रश्न पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों को देखते हुए, जिनसे हम सहमत हुए हैं, उच्च न्यायालय के लिए एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी को गैरकानूनी घोषित करना बिल्कुल अनावश्यक था।

ई.

44. जहाँ तक C.A.Nos.8980–8981of 2012 की बात है, तीसरा मुद्दा बहुत जीवंत है और इसे संबोधित करने की आवश्यकता है।

45. चर्चा एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को पढ़ने के साथ शुरू होनी चाहिए। एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 14 कर के निर्धारण को अभिनिर्धारित करती है।धारा 14 की कई उप–धाराओं का संचयी प्रभाव यह है कि किसी भी अवधि के संबंध में एक व्यापारी द्वारा विवरणी प्रस्तुत किए जाने के बाद, निर्धारण प्राधिकरण का कर्तव्य विक्रेता द्वारा भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक कर की उचित मात्रा का आकलन करना है, जिसमें निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में; और अधिनियम के तहत देय अवैतनिक कर, जुर्माना या ब्याज की किसी भी राशि की वसूली के लिए निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में भी कदम उठाना है।धारा 16 में परिकल्पना की गई है कि एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत देय कर, जुर्माना या ब्याज की कोई भी राशि नियत तारीख के बाद भुगतान नहीं की गई है, जो भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।धारा 16–ए, एक गैर–अस्थाई खंड से शुरू होकर, आयुक्त या बहिष्कृत अधिकारी के अलावा किसी अन्य अधिकारी को वसूली का एक विशेष तरीका शुरू करने की शक्ति प्रदान करती है।फिर धारा 16–बी का अनुसरण किया जाता है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः– ए.

एफ.

जी.

एच.

795

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम एम/एस. ए. जे.

इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड [दीपांकर दत्त, जे.] ए.

“16–ख. कर संपत्ति पर पहला शुल्क होगा।– तत्काल लागू किसी कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत किसी व्यापारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय ब्याज, यदि कोई हो, सहित कर और जुर्माने की कोई भी राशि व्यापारी या ऐसे अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर तत्काल शुल्क होगी।."

बी.

46. ऊपर उल्लिखित एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16 की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, एच. पी. एल. आर. अधिनियम, जिस हद तक भूमि राजस्व के बकाया के रूप में बकाया की वसूली के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है, उस पर संक्षेप में ध्यान देने की आवश्यकता है।

47. एच. पी. एल. आर. अधिनियम की धारा 4 (4) एक चूककर्ता को भूमि राजस्व के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है और इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो बकाया के भुगतान के लिए जमानती के रूप में जिम्मेदार होते हैं। धारा 23 किसी भी भूमि के संबंध में राजस्व अधिकारी द्वारा जारी घोषणा करने के तरीके का प्रावधान करती है और घोषणा के तरीकों का प्रावधान करती है।एच. पी. एल. आर. अधिनियम के अध्याय VI का शीर्षक "भूमि राजस्व संग्रह" है।धारा 74 बकाया की वसूली के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है जबकि धारा 78 संपत्ति या होल्डिंग की कुर्की का प्रावधान करती है।धारा 75 में आदेश दिया गया है कि राजस्व अधिकारी द्वारा भूमि राजस्व अर्जित होने की तारीख को या उसके बाद मांग पत्र जारी किया जा सकता है।धारा 75–ए में परिकल्पना की गई है कि भूमि राजस्व के बकाया होने के बाद किसी भी समय, एक राजस्व अधिकारी एक वारंट जारी कर सकता है जिसमें उसमें नामित एक अधिकारी को चूककर्ता को गिरफ्तार करने और उसे राजस्व अधिकारी के सामने लाने का निर्देश दिया जा सकता है और धारा 81 संपत्ति या स्वामित्व की बिक्री की शक्ति प्रदान करती है।यद्यपि, ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो यह इंगित करता हो कि कोई चूककर्ता किस स्तर पर इस दायित्व से इनकार कर सकता है, धारा 84 सिविल न्यायालय के समक्ष अपनी देयता से इनकार करने वाले व्यक्ति के लिए एक उपाय खोलती है।48. ऊपर उल्लिखित उच्च न्यायालय के 2 जनवरी, 2008 के विवादित निर्णय और आदेश के अंश से यह स्पष्ट है कि चूककर्ताओं को नोटिस दिए जाने पर कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी और विभाग को दी जाने वाली राशि का अंत में कानून के अनुसार निर्धारण नहीं किया गया था।इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य द्वारा बकाया की वसूली के लिए एच. पी. एल. आर. अधिनियम के अध्याय VI में निहित प्रावधानों का सहारा लेने का सवाल, यदि बिल्कुल भी हो, क्योंकि भूमि राजस्व की बकाया राशि उत्पन्न नहीं हुई थी।आबकारी विभाग ने 2007 के सी. डब्ल्यू. पी. 306 के अपने जवाब में कहा कि धारा 16–बी में निहित गैर–बाधा प्रावधान अन्य कानूनों में किसी भी असंगत प्रावधान पर प्रबल होगा; आगे यह प्रस्तुत किया गया कि किसी भी अन्य क़ानून और एच. पी. जी. एस. टी. के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, बाद वाला प्रावधान प्रबल होगा।विभाग ने आगे आग्रह किया कि बिक्री कर का बकाया

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

किसी भी बंधक पर प्राथमिकता अधिक होगी क्योंकि राज्य का पहला शुल्क होगा।यह भी प्रस्तुत किया गया था कि तहसीलदार से कई मौकों पर अनुरोध किया गया था कि वे विषय संपत्ति के राजस्व रिकॉर्ड के संबंध में आवश्यक लाल प्रविष्टियां करें, और पहले प्रतिवादी के कहने पर उन्हें परिवर्तित/पंजीकृत न करें।

49. इस तरह का रुख अपनाते समय, राज्य और उसके विभाग ने या तो इस बात की अनदेखी की या कानून की आवश्यकता से अनजान थे कि धारा 16–बी दायित्व के निर्धारण के बाद और किसी भी राशि के देय और देय होने पर ही आकर्षित की जाएगी; और इसके बाद ही शुल्क, यदि कोई हो, कार्य करेगा।हमारी राय है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कोई प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जब 2007 की सी. डब्ल्यू. पी. 376 की सुनवाई की जा रही थी, यह इंगित करने के लिए कि राज्य और उसके अधिकारियों द्वारा एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम के तहत आवश्यक कदम उठाए गए थे, तीसरे मुद्दे का जवाब यह मानते हुए दिया जाना चाहिए कि राज्य ने अपने बकाया की वसूली के लिए कानून द्वारा आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं, दायित्व का कोई निर्धारण नहीं किया गया है, क्योंकि भूमि राजस्व के बकाया के रूप में बकाया की वसूली के लिए एच. पी. एल. आर. अधिनियम का सहारा लेने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ था।दायित्व के इस तरह के निर्धारण के बिना, राजस्व रिकॉर्ड में कोई लाल प्रविष्टि चिह्न नहीं डाला जा सकता था और उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि राज्य को परिवर्तन से इनकार नहीं करना चाहिए था।

बी.

सी.

डी.

50. चौथा मुद्दा हमें बहुत लंबे समय तक रोके रखने की आवश्यकता नहीं है।जैसा कि है, पी. एन. बी. के खिलाफ दीवानी अपीलें टिक नहीं पाती हैं।अन्य अपीलों के संबंध में, हमारी एक बार फिर यह राय है कि उच्च न्यायालय को वापस बुलाने के लिए आवेदन पर विचार नहीं करने के लिए उचित ठहराया गया था।यह कानून में बनाए रखने योग्य नहीं था, क्योंकि रिट याचिका का निर्णय राज्य की उपस्थिति में गुण–दोष के आधार पर किया गया था।इसलिए सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत वापस बुलाने का आवेदन इन परिस्थितियों में उचित उपाय नहीं था।जब कानून एक विशिष्ट उपाय प्रदान करता है, तो यह किसी पक्ष के लिए धारा 151 का सहारा लेने के लिए खुला नहीं है।यह ऐसे मामले में न्याय करने के लिए अदालत की अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित करता है जहां पक्ष के पास CPC.Besides के तहत कोई अन्य उपाय नहीं है, भले ही वापस बुलाने के लिए आवेदन को 7 सितंबर, 2007 के फैसले और आदेश की समीक्षा के लिए एक माना जा सकता था, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा सौंपे गए कारणों के लिए उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी।अभिलेख के चेहरे पर कोई स्पष्ट त्रुटि इंगित नहीं की गई थी, जो समीक्षा की मांग के लिए पहला आधार है।दस्तावेज़ आवेदन के साथ संलग्न किए गए थे, जो तब अस्तित्व में थे जब राज्य द्वारा 2007 के सी. डब्ल्यू. पी. 303 का जवाब दायर किया गया था और ऐसा कोई मामला स्थापित नहीं किया गया था कि उचित परिश्रम के निर्वहन के बावजूद, ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य, जो ए.

ई.

एफ.

जी.

एच.

797

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम एम/एस. ए. जे.

इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड [दीपांकर दत्त, जे.]

अस्तित्व, उक्त उत्तर के साथ जोड़ा नहीं जा सका।अवैयक्तिक तंत्र के शामिल होने को ध्यान में रखते हुए, जब राज्य सरकार समयबद्ध अपीलों/संशोधनों में निर्णय/आदेश देती है, तो बहुत अधिक लापरवाही दिखाई देती है।हालाँकि, राज्य सरकारों को अनुचित संतुष्टि तब नहीं दिखाई जा सकती जब वे उचित उत्तर दाखिल नहीं करते हैं या जब समीक्षा के लिए एक प्रावधान होने

के बावजूद, इस तरह के उपाय का पालन नहीं किया जाता है और समीक्षा के प्रावधान द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को दूर करने के लिए संभवतः एक अलग उपाय का अनुसरण किया जाता है।इसलिए हम इस मुद्दे का जवाब यह मानते हुए देते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा वापस बुलाए जाने के आवेदन को खारिज करना उचित था।51. पाँचवाँ मुद्दा यह अभिनिर्धारित करते हुए निपटाया गया है कि अपीलार्थी (राज्य और उसके अधिकारी) इस घोषणा के अलावा किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं कि एच. पी. जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 16–बी कानून के किसी भी प्रावधान के अधिकार से बाहर नहीं है।उच्च न्यायालय द्वारा 2 जनवरी, 2008 को धारा 16–बी को गैरकानूनी घोषित किए जाने के मद्देनजर, यह घोषणा उन मामलों के संबंध में राज्य के लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं होगी जो पुराने हैं और बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इस दिन से एक बार फिर प्रभावी होंगे।

बी.

सी.

डी.

52. नतीजतन, सभी दीवानी अपीलों का उपरोक्त शर्तों पर निपटारा किया जाता है।दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

दिव्या पांडे

अपीलों का निपटारा किया गया।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.